

झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण
भगवान बिरसा जैविक उद्यान, चकला (ओरमांझी), राँची
निविदा सूचना संख्या – (ज0गृ0) 03/2021–22
उद्यान के झील के समीप स्थित जलपान गृह संविदा पर चलाने हेतु निविदा शर्त
संविदा अवधि : न्यूनतम एक वर्ष

1. भगवान बिरसा जैविक उद्यान, चकला (ओरमांझी), राँची में वर्ष 2021–22 की अवधि में संविदा पर जलपान गृह चलाने हेतु विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदाएं सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण के पदनाम से आमंत्रित की जाती हैं। जलपान गृह का स्थल विवरण निम्नवत है:

उद्यान के झील के समीप निर्मित जलपान गृह।

2. निविदा प्रपत्र (निविदा शर्तों सहित) सदस्य सचिव के चकला (ओरमांझी) स्थित कार्यालय से कार्यालय अवधि के दौरान विहित मूल्य का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता निर्दिष्ट तिथि एवं समय तक उद्यान स्थित सदस्य सचिव के कार्यालय में रखे गए निविदा पेटी में निविदा डालने के लिए स्वतंत्र होंगे। निविदादाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे निविदा की तकनीकी प्रयत्न/बोली एवं वित्तीय प्रयत्न/बोली अलग-अलग मुहरबंद लिफाफा में डालें जिसके आवरण पर “तकनीकी प्रयत्न/बोली– जलपान गृह संविदा पर चलाने हेतु निविदा” एवं “वित्तीय प्रयत्न/बोली– जलपान गृह संविदा पर चलाने हेतु निविदा” अंकित हो।
3. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाएं यथा निर्दिष्ट तिथि/समय पर मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक के कार्यालय कक्ष में खोली जाएंगी जिस दौरान निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उचित प्राधिकरण –पत्र के साथ उपस्थित रह सकते हैं। यदि कोई निविदादाता अथवा उनका प्रतिनिधि निविदा खोलने के दौरान उपस्थित नहीं रहता है तो इसका प्रभाव निविदा प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा तथा निविदा मान्य होगा।
4. जलपान गृह के लिए एक ही निविदा डाली जायगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹0 2000/- हैं। कार्यालय से निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने की स्थिति में प्रपत्र का मूल्य नकद रूप में जमाकर मनी रशीद प्राप्त करना होगा जिसे निविदा प्रपत्र के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा। वेबसाइट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में प्रपत्र का मूल्य बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता अपनी निविदा के साथ जलपान गृह हेतु सत्यंकार राशि (EMD) के रूप में कुल ₹0 50000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, राँची के पक्ष में निर्गत तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतेय हो अथवा स्वयं के नाम का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, राँची के पदनाम को प्लेज्ड (pledged) हो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
6. निविदादाता निर्धारित प्रपत्र में जलपान गृह को चलाने हेतु कुल मासिक शुल्क साफ-साफ अंक एवं शब्द में अंकित करेंगे। **अर्पित मासिक शुल्क एक वर्ष के लिए अंकित किया जायगा।**
7. निविदा प्रपत्र में निविदादाता अनिवार्य रूप से प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा और समझा है तथा वे सभी शर्तों को स्वीकार करेंगे।

लगातार

(2)

8. सशर्त एवं त्रुटिपुण निविदा अथवा बिना सत्यंकार राशि के समर्पित निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वैसे निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
9. सफल निविदादाताओं को निविदा की स्वीकृति की तिथि से एक सप्ताह के भीतर एक वर्ष की संविदा अवधि के निविदा राशि का 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) जमानत राशि विहित रूप में जमा करते हुए संविदा पर हस्ताक्षर करना होगा। जमानत की राशि बैंक द्वारा सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण राँची के पक्ष में निर्गत बैंक गारंटी अथवा निविदादाता के नाम का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, राँची के पदनाम को प्लेज्ड (pledged) हो, के रूप में जमा करना होगा।
10. सफल निविदादाताओं द्वारा जमा सत्यंकार राशि यदि विहित रूप में हो तो उसे निविदादाता के लिखित अनुरोध पर जमानत की राशि में समायोजित कर दिया जाएगा। शेष असफल निविदादाताओं की सत्यंकार राशि निविदाओं पर अन्तिम निर्णय के पश्चात वापस कर दी जाएगी।
11. यदि सफल निविदादाता जमानत की राशि निर्धारित समय पर जमा करने एवं संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई सत्यंकर राशि राज्यसात कर ली जायेगी और द्वितीय निविदादाता को अवसर दिया जायेगा जिस पर प्रथम सफल निविदादाता को किसी प्रकार की आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं रहेगा।
12. सफल निविदादाता (जलपान गृह संचालक) को पूरे संविदा अवधि की निविदा राशि (शुल्क) मासिक किस्त के आधार पर प्रतिमाह जमा करनी होगी। प्रथम किस्त काय प्रारंभ करने का आदेश प्राप्त करने के पूर्व एवं अन्य किस्त संबंध महीने की समाप्ति के पूर्व जमा कर देना होगा। ऐसा नहीं करना संविदा के शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा एवं ऐसी स्थिति में संविदा को रद्द करने तथा जमानत की राशि राज्यसात करने का पूरा अधिकार सदस्य सचिव को होगा।
13. जलपान गृहों में किसी प्रकार का music चलाने का अधिकार नहीं होगा।
14. जलपान गृह में अच्छे किस्म की सामग्रियों को बिक्री हेतु रखनी होगी। यदि घटिया किस्म के खाद्य सामग्रियों की बिक्री की जाती है अथवा इसकी शिकायत दर्शक या विभागीय कर्मचारी द्वारा की जाती है, ता सदस्य सचिव को अधिकार होगा कि वे संचालक पर अर्थदण्ड लगा सकें या संविदा रद्द कर सकें।
15. जलपान गृह में शराब तथा नशीले पेय की बिक्री एवं उनका सेवन पूर्णतः वर्जित होगा, साथ ही साथ यदि बाहर से आने वाले कोई व्यक्ति जोर जवरदस्ती कर किसी नशीले पेय का सेवन करने का प्रयास करते हैं तो इसकी सूचना सफल निविदादाता द्वारा तुरत उद्यान प्रशासन को देना अनिवार्य होगा।
16. जलपान गृह में पान, पान मसाला, गुटका, बीडो-सिगरेट, तम्बाकू, आदि सहित सभी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री वर्जित होगी।
17. जलपान गृह में बिक्री हेतु रखी गयी खाद्य सामग्रियों का बिक्री दर राँची स्थित बाजार के दरों के अनुरूप होगा तथा संचालक द्वारा जलपान गृह के अंदर एवं बाहर दर तालिका प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
18. जलपान गृह संचालक को अपना कार्य क्षेत्र साफ एवं स्वच्छ रखना होगा। जलपान गृह में किसी प्रकार की बिक्री पोलीथीन पैक में नहीं किया जायेगा। जलपान गृह के दीवारों पर दर/तालिका के अतिरिक्त किसी प्रकार का लिखाई-पोताई नहीं करना होगा। जलपान गृह संचालन में उत्पन्न सभी प्रकार के कचड़ा का संग्रहण एवं उद्यान से बाहर उसका निष्पादन करने की व्यवस्था संचालक स्वयं करेंगे। यदि दीवार पर लिखाई-पोताई पायी जाती है अथवा कचड़ा बिखरा हुआ पाया जाता है तो संचालक अर्थदण्ड के भागीदार होंगे। इस संबंध में सदस्य सचिव का निर्णय अंतिम होगा जो संचालक को मान्य होगा।

लगातार

(3)

18. उद्यान द्वारा उपलब्ध कराए गए उपस्कर, विद्युत उपकरण तथा अन्य सामग्रियों के टूट-फूट की पूरी जिम्मेवारी संचालक पर होगी एवं वैसी स्थिति में सामग्रियों/उपकरणादि की मरम्मत अथवा नई सामग्री खरीदने में जो राशि व्यय होगी उसकी भरपाई की जिम्मेदारी संचालक पर होगी।
19. जलपान गृह चलाने के कार्य पर लागू होने वाले सभी अधिनियम/नियम के पालन हेतु संचालक स्वयं जिम्मेवार होंगे। जलपान गृह में कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन/मजदूरी इत्यादि का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा अधिसूचित दर पर ही संचालक को करनी होगी। यदि भुगतान में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी संचालक पर होगी।
20. जलपान गृह में waiter के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को ग्रे पैन्ट, शर्ट एवं काला जूता में रहना अनिवार्य होगा।
21. विद्युत अथवा जलापूर्ति बाधित होने पर संचालक को वैकल्पिक व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जलपान गृह में उपयोग किये गये विद्युत खर्च का वहन संचालक को करना होगा। इस हेतु संचालक को अपने खर्च पर एक सबमीटर लगाना होगा और सबमीटर में दशार्थी गयी यूनिट की राशि का भुगतान संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी को किया जायगा। अगर संचालक को डी.जी. सेट कनेक्शन की आवश्यकता हो तो संबंधित वनक्षेत्र पदाधिकारी को आवेदन देकर कनेक्शन ले सकते हैं और इसके लिए वनक्षेत्र पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर उसका भुगतान करना होगा।
22. संचालक द्वारा विद्युत हीटर का उपयोग नहीं किया जायेगा।
23. सोमवार की सप्ताहिक बंदी को छोड़कर उद्यान के झील के समीप जलपान गृह प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक ही खुला रहेगा। विशेष परिस्थिति में सदस्य सचिव के आदेश पर साप्ताहिक बंदी के दिन भी अन्य दिनों की तरह जलपान गृह खोलना संचालक के लिए अनिवार्य होगा।
24. सदस्य सचिव द्वारा वन्यप्राणियों एवं दर्शकों के हित में अथवा अन्य किसी लोकहित में जलपान गृह के संबंध में निदेश जारी किया जाता है तो जलपान गृह संचालक द्वारा उसका अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
25. निविदा की ऐसी शर्तें, जिनके उल्लंघन के लिए दंडात्मक/निवारक प्रावधान अंकित नहीं हैं, का जलपान गृह संचालक (सफल निविदादाता) द्वारा उल्लंघन किए जाने पर सदस्य सचिव को अधिकार होगा कि वे स्वविवेकानुसार दोषी संचालक पर यथोचित अर्थदण्ड लगाएँ अथवा जमानत की राशि राज्यसात करते हुए निविदा रद्द कर दें।
26. उद्यान में कार्यरत किसी भी स्थाई/अस्थायी कर्मचारी अथवा दैनिक मजदूर को निविदा समर्पित करने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी कर्मचारी का जलपान गृह के संचालन/निविदा में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त होने के प्रमाण पाये जायेंगे तो दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारी को बिना कोई नोटिस दिये कार्य से हटा दिया जायेगा एवं स्थायी कर्मचारी के मामले में कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
27. यदि आवश्यक हो तो निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सदस्य सचिव के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर कार्यावधि के दौरान सम्पर्क स्थापित कर निविदा के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है अथवा शंका निवारण किया जा सकता है।
28. इन शर्तों के अतिरिक्त अगर किसी संबद्ध विषय पर विवाद उत्पन्न होता है तो सफल निविदादाता (जलपान गृह संचालक) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणो एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पास अपील कर सकते हैं जिनका निर्णय अन्तिम होगा एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।
29. निविदादाता द्वारा website से download किये गये निविदा प्रपत्र की कीमत draft/payorder के रूप में निविदा के साथ देनी होगी, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
30. सदस्य सचिव को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये एक या सभी निविदाओं को अस्वीकृत कर दें।

ह0/—

सदस्य सचिव

झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण